फर्द अहकाम(नियम 26)

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलवर (राज.)

सीमा सैनी बनाम हरलाल

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

दिनांक हुक्म	कार्यवाही मय आद्यहस्ताक्षर	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में हुए
18.03.2026	वकुलाए पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थीया सीमा सैनी की ओर से हस्तगत प्रार्थनापत्र पेश किया जाकर यह निवेदन किया गया है कि उसकी ओर से पूर्व में पेश मुंतकिली प्रार्थनापत्र पर दिनांक 16.03.2026 को आदेश पारित किये गये थे, जिसमें प्रार्थीया के प्रकरण को न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 02, अलवर से, न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01, अलवर में अंतरित किये जाने के आदेश पारित किये गये थे। उक्त आदेश में टंकण त्रुटि से न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01, अलवर के स्थान पर न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01, अलवर टंकित हो गया है, जिसे दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थनापत्र पर सुना गया, आदेश दिनांक 16.03.2026 का अवलोकन किया गया। आदेश दिनांक 16.03.2026 के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 02, अलवर में लंबित प्रकरण संख्या 34/34/2025 बअनुवान हरलाल बनाम नेतराम को उक्त न्यायालय से, न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01,अलवर में अंतरित करने के आदेश पारित किये गये थे, परंतु टंकण त्रुटि के कारण, आदेश के अंतिम पैरा में न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01, अलवर टंकित होना प्रकट होता है, जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अतः आदेश दिया जाता है कि आदेश दिनांक 16.03.2026 के अंतिम पैरा में टंकित "न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01, अलवर " को दुरूस्त किया जाकर शब्द "अतिरिक्त" को लाल स्याही से गोला लगाया जाकर विलोपित किया जाता है। "न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-01, अलवर'' के स्थान पर, ”न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-01, अलवर'' पढा जावे। आदेशानुसार लाल स्याही से दुरूस्त किया गया। प्रार्थनापत्र फैसल शुमार होकर संलग्न मूल प्रार्थनापत्र हो।	